कम्प्यूटर- परिपत्र सं0- 1314056 दिनांक 04/10/2013

पत्र सं0-सचलदल-क्षेत्राधिकार निर्देश-2013-14 / 1581 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

सचलदल अनुभाग

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 04, अक्टूबर,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या -सचलदल-क्षेत्राधिकार-2013-14/1577/1314055/वाणिज्य कर दिनांक अक्टूबर 04, 2013 द्वारा प्रदेश के समस्त खण्ड कार्यालयों में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारी को उनके संबंधित जोन में धारा-45 तथा धारा-48 में विहित कार्यवाही के निष्पादन हेतु इन धाराओं में अन्तर्निहित शक्तियों का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। उक्त के संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

1- उपर्युक्त सभी अधिकारी संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के निर्देशानुसार रोड चैकिंग का कार्य निष्पादित करेंगे। इस संबंध में संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अपने स्वविवेक से अथवा , एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर से विचार विमर्श करते हुए अथवा मुख्यालय से निर्गत निर्देशों के क्रम में जाँच कार्य करायेंगे।

2- इस निष्पादित कार्य का जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा मासिक रूप से अनुश्रवण भी किया जाएगा।

3- उक्त अधिकारियों से नियमित रूप से रोड चैकिग का कार्य अपेक्षित नहीं होगा तथापि आवश्यकतानुसार आकस्मिक रूप से तथा संभाग की राजस्व संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह कार्य निष्पादन कराया जायगा।

4- विभिन्न सीजनल व्यवसायों तथा विभिन्न त्यौहारों के सीजन में जो विशेष अभियान चलाए जाते हैं उनमें भी इन अधिकारियों से सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य निष्पादन कराया जाएगा । इस संबंध में मुख्यालय से भी जो निर्देश दिए जाते हैं , उनके अनुरूप भी जाँच कार्यवाही निष्पादित की जाएगी।

5- उक्त अधिकारियों द्वारा उपर्युक्तानुसार निष्पादित कार्य के संबंध में स्वतंत्र रूप से डिटेंशन मीमो , कारण बताओ नोटिस तथा अभिग्रहण आदेश निर्गत किए जायेंगे तथा सबंधित अभिलेखो का भी रख रखाव संभागवार किया जाएगा। साथ ही अपंजीकृतों के संबंध में अर्थदण्ड की कार्यवाही भी इन्हीं अधिकारियों द्वारा निष्पादित की जाएगी तथा पंजीकृतों के संबंध में संबंधित खण्ड को प्रकरण भेजने का कार्य भी निष्पादित किया जाएगा।

6- उक्त अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के संबंध में धारा 48(7) के अन्तर्गत आदेश संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा पारित किया जाएगा।

mu

7- उक्त संबंध में जाँच कार्य करने वाले खण्ड में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारियों को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उनके पूर्व से क्रियाशील यूज़र आई डी पर मोबाइल अधिकारियों से संबंधित बिलों तथा पंजी-5 के विवरण के अंकन हेतु Grant Permission के माध्यम से सुविधा प्रदान कर दी जाएगी । इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा निष्पादित जाँच से संबंधित विवरणों को मुख्यालय द्‌वारा सचल दल अधिकारियों के लिए पत्र सं0 आई0टी0-बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन -2013-14/ 642/वाणिज्य कर दिनांक 30.08.2013 एवं पत्र संख्या आई0टी0-पंजी-5-स0द0-2013-14/643/वाणिज्य कर दिनांक 30.08.2013द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा । यह कार्य ऐसे अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जाएगा ।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही निष्पादित की जाए ।

6.10.2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश